राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6306 जयपुर, दिनांक : 18-12-09

आदेश

सां.आ. संख्या–56/09 राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 47–क के उप नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को ऐसी विधि से मुद्रा बन्द करेगा और पृथकतः सुरक्षित करेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। अतः उक्त नियम के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यो के निर्वाचन हेतु उपयोग में ली गई नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों) को मतदान की समाप्ति के पश्चात् मुद्रा बंद करने और उन्हें पृथकतः सुरक्षित करने के लिये निम्नांकित निर्देश जारी करता है :–

1. पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन में अलग–अलग उपयोग में ली गई मतदान यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट को वियोजित (Disconnect) किया जावे और नियंत्रण यूनिट का पॉवर स्विच बंद (Off) कर दिया जावे।
2. मतदान यूनिट (यूनिटों) तथा नियंत्रण यूनिट को पुनः उन्हें अपने वहन बक्से (Carrying Boxes) में रख दिया जावे।
3. वहन बक्सों की दोनों ओर इस प्रयोजन के लिये बने छिद्रों में धागा डालकर उन वहन बक्सों को मुद्रा बन्द कर दिया जावे और इस प्रकार मुद्रा बन्द करते समय निर्वाचन तथा मतदान केन्द्र की विशिष्टयां दर्शाने वाले एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुद्रा लगाकार इन्हें चपड़ी से मुद्रा बंद कर देवें।
4. नियंत्रण यूनिट पर एड्रेस टैग की विशिष्टयां निम्न प्रकार होंगी :–

 पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या नियंत्रण यूनिट का पहचान नम्बर, मतदान बूथ का नाम व उसका संख्यांक और मतदान की तारीख।
5. मतदान यूनिट (यूनिटों) पर लगाये जाने वाले एड्रेस टैग की विशिष्टयों में पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या का नाम, मतदान यूनिट (यूनिटों) का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक तथा मतदान की तारीख अंकित की जायेगी।
6. पंचायत समिति सदस्य, या यथास्थिति, जिला परिषद सदस्य चुनाव के अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों तथा अपनी मुद्रा लगाने के इच्छुक हों, उन्हें भी एड्रेस टैगों पर मुद्रा लगाने की अनुमति दी जावे।

आज्ञा से,
(आर.. के. जैन)
सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6307-09 जयपुर, दिनांक : 18-12-09

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज. विभाग, राज., जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत (कलेक्टर) राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उक्त ओदश की प्रति समस्त रिटर्निंग अधिकारी को भी कृपया उपलब्ध करावें।
3. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(आर.. के. पारीक)
उप सचिव

D:\SEC on hire (NP)\Panchayat\F7(1)(1)panch EVM 09.doc
Created on 16/12/2009 13:23:00
2